उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"

चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या : 470 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 16/05/2019

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषयः– 5 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार वाले अवैधानिक संयोजनों (कटिया) वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण सुनिश्चित कर वसूली हेतु धारा–3 एवं धारा–5 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर संबंधित परिसरों की चेकिंग किए जाने के सम्बन्ध में।

5 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में शत प्रतिशत राजस्व निर्धारण एवं राजस्व निर्धारण की वसूली (Theft Realisation) सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक है कि अवैधानिक संयोजनों (कटिया) वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में ऐसे संयोजनों वाले व्यक्तियों द्वारा उनके विरूद्ध किये गए राजस्व निर्धारण का भुगतान न किये जाने की स्थिति में उन्हें **उ0प्र0 सार्वजनिक (विद्युत) उपक्रम बकाया वसूली एक्ट की धारा–5** (RC-5) के अन्तर्गत वसूली नोटिस निर्गत की जाए।

उपर्युक्त संबंध में आवश्यक है कि :–**1.** जिन परिसरों में कटिया संयोजन पाये जाते हैं उन्हें तुरंत विच्छेदित कर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

2. कटिया संयोजन (Non-Consumers)वाले जिन व्यक्तियों द्वारा शमन शुल्क जमा किए जाने के साथ उनके विरूद्ध किये गए राजस्व निर्धारण की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम की **धारा–135** के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के उपरांत उन्हें धारा–5 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण की वसूली हेतु नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए।

ऐसे कटिया संयोजन (Non-Consumers) वाले परिसरों की क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाए एवं ऐसे अवैध संयोजन कर्ता द्वारा बिना बकाया धनराशि जमा किये एवं नियमानुसार संयोजन प्राप्त किए बिना विद्युत उपभोग करने की स्थिति में, उनके विरूद्ध पुनः एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाए एवं एफ0आई0आर0 में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पूर्व में धारा–135 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

3. कटिया संयोजन धारक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्गत की गयी धारा–5 की नोटिस पर जिला प्रशासन स्तर से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु वितरण निगम के **निदेशक (वाणिज्य)** द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं आवश्यक होने पर संबंधित वितरण क्षेत्र के **मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता** द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन से भी संपर्क किया जाए।

क्रमशः–2

4. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एवं राजस्व निर्धारण का भुगतान किए बिना, कटिया संयोजन धारकों द्वारा पुनः अवैध संयोजन कर लिए जाने की स्थिति में विभागीय कार्मिकों की शिथिलता/संलिप्तता हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः 470 /मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 16 /05/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांन्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वांन्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)